भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 554

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब

554. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 के बाद से निर्धारित समय पर पूरी नहीं होने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं विशेषकर एनएच-31 में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे विलंब के कारण लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2015 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनएचएआई द्वारा लिए गए ऋणों का वर्ष -वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) परियोजनाओं में से 697 चालू परियोजनाएं हैं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना, अपने मूल पूर्ण होने की समय-सीमा से आगे निकल गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के प्राथमिक कारण भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, जन-उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, रियायतग्राही/ठेकेदार की वित्तीय तंगी, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब निष्पादन से संबंधित मुद्दे/समस्याएं और कोविड-19 महामारी, भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/हिमस्खलन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं।

(ग) सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि देरी ठेकेदार के कारण नहीं होती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, यह परियोजना के वास्तविक समापन और बिलों के अंतिम निपटान पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।

(घ) अप्रैल, 2015 से एनएचएआई को सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण और अन्य उधारों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध- I

'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने' के संबंध में डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 25.07.2024 पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को प्राप्त किए बिना ही अपने मूल समापन समय से आगे निकल जाने वाली परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजनाओं की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	**36**
2.	अरुणाचल प्रदेश	**15**
3.	असम	**18**
4.	बिहार	**32**
5.	छत्तीसगढ़	**24**
6.	गोवा	**3**
7.	गुजरात	**31**
8.	हरियाणा	**18**
9.	हिमाचल प्रदेश	**21**
10.	झारखंड	**13**
11.	कर्नाटक	**40**
12.	केरल	**11**
13.	मध्य प्रदेश	**15**
14.	महाराष्ट्र	**98**
15.	मणिपुर	**28**
16.	मेघालय	**10**
17.	मिजोरम	**13**
18.	नगालैंड	**12**
19.	ओडिशा	**27**
20.	पंजाब	**15**
21.	राजस्थान	**19**
22.	सिक्किम	**13**
23.	तमिलनाडु	**29**
24.	तेलंगाना	**24**
25.	त्रिपुरा	**6**
26.	उत्तर प्रदेश	**31**
27.	उत्तराखंड	**31**
28.	पश्चिम बंगाल	**23**
29.	संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)	**41**
कुल		**697**

अनुबंध II

'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने' के संबंध में डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 25.07.2024 पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल 2015 से एनएचएआई द्वारा आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में उठाए गए ऋणों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	**आईईबीआर (करोड़ रुपए में)**
2015-16	23,281
2016-17	33,118
2017-18	50,533
2018-19	61,217
2019-20	74,988
2020-21	65,036
2021-22	65,150
2022-23	798
2023-24	0
2024-25 (31.05.2024 तक)	0

*****